सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –20.07.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 04 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्त 1. सुक्खे उर्फ हरी प्रसाद पुत्र कथुले वर्मा नि0 किदवई नगर जनपद कानपुर नगर 2. गंगास्वरूप शुक्ला उर्फ मन्ना स्वामी पुत्र परशुराम नि0 किदवई नगर जनपद कानपुर नगर 3. भागीरथ पुत्र बाबूलाल नि0 वेदनगर कस्बा व थाना मोंठ जनपद झांसी द्वारा वादी के पुत्र राजेश व उसके साथी मंगल पुत्र स्व0 मुन्ना लाल की हत्या कर 1,20,000/- रूपये बेईमानी पूर्वक गबन कर लेना तथा दोनो के शव को गंगा नदी में फेंक देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 2132/2012 (वाद संख्या – 144/13, 111/15) धारा 302/364/404/201/120 बी/34 भादवि में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. सुक्खे उर्फ हरी प्रसाद 2. गंगास्वरूप शुक्ला उर्फ मन्ना स्वामी 3. भागीरथ उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 36,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – अभियुक्त दिनेश पाल पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम रहँक थाना चिकासी जनपद हमीरपुर द्वारा वादी की 05 माह की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना एट में मु0अ0सं0 144/19 (वाद संख्या – 46/19) धारा 376(2)(i) भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त दिनेश पाल उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉस्को कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त दिनेश पाल उपरोक्त को दोषी पाते हुये 30 वर्ष का कारावास एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।